



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1947 (श10)

(सं0 पटना 201) पटना, सोमवार, 16 फरवरी 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)

अधिसूचना
07 फरवरी 2026

सं० सं० जनगणना कोषांग (अधिसूचना)-12/02-2025-20(ज०को०)/रा०—केंद्र सरकार द्वारा जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा-3 और धारा-17के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. 99(अ) दिनांक 7 जनवरी 2026 के आलोक में भारत की जनगणना, 2027 से सम्बंधित मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल 2026 से 30 सितम्बर 2026 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाना है। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य आरम्भ होने से ठीक पहले पन्द्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जायेगा।

2. जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) के उपबंधों के अधीन बनाए गए जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल आदेश देते हैं कि भारत की जनगणना-2027 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य दिनांक-02.05.2026 से 31.05.2026 (कुल-30 दिवस) तक की अवधि में संपूर्ण बिहार राज्य के सभी जिलों में सम्पन्न कराया जाएगा।

3. स्वगणना (Self Enumeration) के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो दिनांक-17.04.2026 से 01.05.2026 (कुल-15 दिवस) तक की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सी०के० अनिल,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 201-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>